न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–18 / 2020 (2020 / 00163) दर्ज दिनांक 06.07.2020

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

हीरा आत्मज भूरा गुर्जर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।

–विपक्षी

वकिल प्रार्थी:–श्री एस0के0 जैन

विपक्षी:– पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.02.2021

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य स्वामित्व की सरहद पोटलां पटवार हल्का पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नं0 591 / 4 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नं0 591 / 6 रकबा 02 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा जो कि जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है।

यह कि प्रार्थी को वर्ष 2018 में पटवार हल्का द्वारा मौके से बेदखल करने की कोशीश की गयी व भूमि सरकारी बिलानाम होना बताया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले आदि प्राप्त की तो प्रार्थी को जानकारी में आया कि भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान प्रार्थी की साबिक खातेदारी आराजी नं0 591 / 4 व 591 / 6 को नवीन आराजी नंम्बर 2840 रकबा 1.20 हे0 जो कि अन्य आराजियात को मिलाते हुए बनाया गया व उक्त आराजी को बिलानाम सरकार बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत व लापरवाही पूर्वक कर दिया गया, जबकि उक्त 1.20 हे0 में से 0.60 हे0 भूमि गै0मु0 रास्ता व 0.30 हे0 गै0मु0 नाली के रूप में दर्ज है व 0.30 हे0 अन्य काश्तकार का कब्जा है, प्रार्थी [illegible] 02 बीघा 15 बिस्वा जिसकी किस्म कुषि भूमि छाक के रूप में थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

इस प्रकार 1.20 हे0 में से 0.90 हे0 जो कि गै0मु0 रास्ता व गै0मु0 नाली है व शेष रकबा 0.30 हे0 जो कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी का साबिक रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा का नही बनता है व न ही उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है। बल्कि प्रार्थी का बिलानाम आराजी नं0 2089 रकबा 0.36 हे0, आराजी नं0 2090 रकबा 0.20 जिस पर प्रार्थी का कब्जा होकर प्रार्थी वर्तमान में इसी आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

यह कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा लापरवाही पूर्वक भू प्रबंध के दौरान प्रार्थी का नाम विलोपित कर आराजी नम्बर 2840 में मिला दिया गया, जबकि आराजी नं0 2840 साबिक नक्शे अनुसार भी मिलाना साबित नही है, गलत तरीके से आराजी नं0 2840 से मिलाया गया हैं प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज को सही करा , आराजी नं0 2089 रकबा 0.36 हे0, आराजी नं0 2090 रकबा 0.20 हे0 को अपने नाम पर खातेदार से पुनः अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम पोटलां तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 2089 रकबा 0.36 हे0, आराजी नं0 2090 रकबा 0.20 हे0 को प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत विपक्षी तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रकरण दिनांक 06.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब फरमायी जाने बाबत् प्रा0 पत्र पेश किया जिसकी प्रति पेरोकार सरकार को दिलवाई जाकर प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया व तहसीलदार सहाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार :—

ग्राम पोटलां की साबिक खसरा नं0 591/4 व 591/6 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा जो कि वादी हीरा पिता भूरा गुर्जर सा0देह के नाम दर्ज की जिसके नवीन खसरा नं0 2840 रकबा 1.20 हे0 (0.60 गेमु रास्ता 0.30 गेमु नाली 0.30 बीड) अन्य आराजियात को मिलाते हुए बनाये गये जिस पर वादी एवं उपस्थित मौतबिरान के अनुसार इनका कब्जा इस आराजी पर नहीं होकर वर्तमान में खसरा नं0 2089, 2090 कुल किता 2 रकबा 0.56 हे0 पर होना बताया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:01 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या :–18/2020 (2020/00163)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

प्रार्थी के अधिववक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में राजस्व रेकार्ड पेश किया साथ ही पेरोकार सरकार की बहस एवं मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिससे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम पोटलां तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 2089 रकबा 0.36 हे0, आराजी नं0 2090 रकबा 0.20 हे0 को प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने जाना न्यायोचित है अतएवं:–

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम पोटलां तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 2089 रकबा 0.36 हे0, आराजी नं0 2090 रकबा 0.20 हे0 को प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.

(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:01 IST
Reason: SelfAttested